न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 126 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. गंगाराम पुत्र सूजाराम 2. शांति पत्नी पाबूराम 3. मेघा पुत्र पाबूराम 4. जगदीश पुत्र पाबूराम निवासी चितरड़ी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर	1. सोहनलाल पुत्र भागीरथराम जाति विश्नोई निवासी सोनड़ी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 2. हरीराम पुत्र सगराराम 3. पांचाराम पुत्र जसवंताराम 4. भूराराम पुत्र जसवंताराम 5. धर्माराम पुत्र रामलाल जातियान जाट 6. ल्हरोंदेवी पत्नी धर्माराम जाति जाट निवासी सरस्वती नगर, तहसील धनाऊ 7. हिन्दूसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी चौहटन जिला बाड़मेर 8. कलाराम पुत्र नारणाराम जाति विश्नोई निवासी सोनड़ी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 9. शाखा प्रबन्धक, एसबीआई शाखा धौरीमन्ना

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	10. शाखा प्रबन्धक, एस.बी.आई शाखा बामड़ला 11. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार सेड़वा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा द्वारा राजस्व वाद संख्या 108/2021 बअनवान गंगाराम वगैरा बनाम सोहनलाल वगैरा में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 29.09.2021 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री सुखदेव पटेल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रोशनलाल विश्नोई रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—11.12.2024

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश हुआ। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 08 के संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 51 रकबा 67.17 बीघा, खसरा संख्या 220/39 रकबा 02.12 बीघा, खसरा संख्या 222/39 रकबा 01.06 बीघा, खसरा संख्या 226/49 रकबा 80.14 बीघा कुल रकबा 152.09 बीघा खसरा संख्या 48 रकबा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 50 रकबा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 230/53 रकबा 04.19 बीघा कुल रकबा 05.17 बीघा तथा खसरा संख्या 228/53 रकबा 86.11 बीघा मौजा चितरड़ी पटवार क्षेत्र पनोरिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में आया हुआ है जिसमें वादीगण का 1/4 हिस्सा है। वादीगण का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। राजस्व रेकर्ड में इसी प्रकार हिस्सा कस्सी खुली है तथा परन्तु भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड किया हुआ नहीं है, इसलिये पक्षकार के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

मध्य वादग्रस्त भूमि हिस्से व कब्जा काश्त को लेकर तनाजा बना रहता है, वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से की भूमि को बाई मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया जिस पर तहसीलदार स्वयं ने मौके पर न जाकर हल्का पटवार व आर आई से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु कहा गया जिस पर हल्का पटवारी व आर आई ने उतरदाता के साथ मिलीभगत करते हुऐ मौके पर पक्षकारान के मध्य हुऐ बाहामी बंटवाडे व कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया तथा मौके की स्थिति व कब्जा काश्त के विपरित विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना व अपीलांट से आपति लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांटगण को अपनी शहादत पेश करने कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार सेड़वा को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार सेड़वा द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत नायब तहसीलदार सेड़वा के जरिये उक्त विभाजन प्रस्ताव कब्जा काश्त के विपरीत तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलांट को बिना पूर्व सूचना के हल्का पटवारी द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के विपरित तैयार किया गया जिस पर तहसीलदार के प्रति हस्ताक्षर है। विभाजन प्रस्ताव पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांटगण के हस्ताक्षर या अगुंष्ठ निशान नहीं है तथा एकपक्षीय रूप से तैयार विभाजन प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा अपने वाद पत्र में प्रत्येक खसरे में अपने हिस्से की इस्तदुआ चाही गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री में भी अपीलांटगण का प्रत्येक खसरे में 1/4 हिस्सा होना घोषित किया गया है परन्तु विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय अपीलांटगण को खसरा नम्बर 226/49, 51, 220/39 व 222/39 में ही हिस्सा दिया गया है तथा शेष भूमि में हिस्सा नहीं दिया गया है जबकि अपीलांटगण ने सभी खसरों में अपने हिस्से अनुसार भूमि का बंटवाड़ा करवाने हेतु अनुतोष चाहा गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय प्राथमिक डिक्री में अपीलांटगण का प्रत्येक खेत में हिस्सा घोषित किया गया है तथा अपीलांटगण का मौके पर भी खसरों में खसरा में कब्जा काश्त है इसलिये उक्त भूमि का बाई मीटस् एण्ड बाउण्ड बंटवाड़ा नहीं किया गया है। अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद दिनांक 01.09.2021 को पेश किया गया तथा तीसरी पेशी पर प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई तथा पांचवी पेशी तारीख पर अंतिम डिक्री जारी की गई तथा समस्त प्रक्रिया में मात्र 28 दिन का समय लगा है जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में आनन फानन में आलोच्य आदेश पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा नायब तहसीलदार सेड़वा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने बहस करते हुए बताया कि मूल वाद अपीलांटगण की तरफ से ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांटगण के अधिवक्ता ने पेशी दिनांक 21.09.2021 को वादपत्र पर बहस सुनने का निवेदन किया तथा वादी/अपीलांटस के वाद पत्र को प्राथमिक रूप से स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की गई। इस प्रकार प्रतिवादीगण/अपीलांटस के स्वीकारोक्ति आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 21.09.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। अपीलांटगण द्वारा प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध कोई अपील पेश नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। रेस्पोडेंटस अपीलाधीन आराजी का सदभावी रिकॉर्डेड खातेदार है। हिस्सों को लेकर अपीलांटगण द्वारा किसी भी प्रकार का उजर पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि तहसीलदार सेड़वा द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27.09.2021 तैयार करने से पूर्व समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक 27 से 38 दिनांक 24.09.2021 को जारी किये गये थे, जिनकी तामीली विधिक रूप से करवायी गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी पक्षकारों के साथ न्याय करके अंतिम डिक्री विधिवत रूप से पारित की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अपीलांटस द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलांटस को पूर्व में गलत रूप से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने जानकारी नहीं थी परन्तु वर्तमान में अपीलांट अपने बाहामी बंटवाड़े के अनुसार भूमि पर रबी की काश्त करने लगे तो उतरदातागण ने कहा कि इस वर्ष हम भूमि विधिवत बंटवाड़े के अनुसार काबिज होकर काश्त करेगे तथा आपको पुराना कब्जा व ढाणी खाली करनी पड़ेगी तथा मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बंटवाड़ा नहीं होकर उसके विपरित है जिस पर अपीलांटगण को अपने हक हकुक संशयप्रद लगे तो अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया परन्तु अधिवक्ता ने कोई संतोषजनक जबाव नहीं दिया जिस पर अपीलांटगण ने दूसरा अधिवक्ता नियुक्त कर आलोच्य निर्णय एवं डिक्री की नकल दिनांक 13.10.2022 को मांगी जो तैयार होकर दिनांक 14.10.2022 को प्राप्त हुई जिस पर अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। हस्तगत अपील पेश करने में जानबुझकर कोई देरी नहीं की गई। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर